स्व. चौ. गुगनराम सिहाग व उनकी छोटी बहन स्व. श्रीमती गीना देवी के शुभाशीर्वाद से प्रकाशित

JOURNAL OF HUMANITIES, COMMERECE, SCIENCE, MANAGEMENT & LAW

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Vol. 17 ISSUE-5 (मई 2023) ISSN : 2395-7115

प्रेरणा :

चौ. एम. सिहाग

प्रधान सम्पादक :

डॉ. मीरा चौरसिया

सम्पादक :

डॉ. नरेश सिहाग 'बोहल', एडवोकेट

एम.ए. (समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, हिन्दी शिक्षा शास्त्र, पत्रकारिता),
एम.फिल (समाजशास्त्र, हिन्दी) एम. लिब., एल–एल.बी. (ऑनर्स),
डिप्लोमा पंचायती राज (रजत पदक विजेता), पी.एच.डी. (हिन्दी)
डी.लिट् (मानद उपाधि), काठमांडू, नेपाल
विभागाध्यक्ष हिन्दी एवं शोध निर्देशक
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर–335001 (राज.)

प्रकाशक :

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.)

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी–127021 (हरियाणा)

मई 2023

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	डॉ. मीरा चौरसिया	9-9
2.	उत्तराखंड के साहित्यकारों का हिन्दी-साहित्य में योगदान	पायल	10-12
3.	गढ़वाल : लोक नृत्य की झलक	कृष्ण कुमार कोटनाला	13-18
4.	उत्तराखण्ड के प्रमुख लेखक व उनकी रचनाएं	राधा पटेल	19-25
5.	उत्तराखंड के साहित्यकारों का हिंदी साहित्य में अवदान	प्रज्ञा	26-27
6.	गढ़वाल का लोक साहित्य एवं संस्कृति	रवीन्द्र सिंह	28-35
7.	रत्नाम्बर दत्त चन्दोला 'रत्न' के काव्य में राष्ट्रीय भावना	श्रीमती सुमिता, डॉ. सीमा गुप्ता	36-38
8.	संचार क्रांति के समाज पर प्रभाव : एक आलोचनात्मक अध्ययन	डॉ. ऋचा तिवारी, डॉ. दीपक कुमार तिवारी	39-42
9.	वैश्वीकरण और हिंदी	कविता	43-45
10.	उत्तराखण्ड की संस्कृत साहित्य परम्परा	रश्मि डोभाल	46-50
11.	डॉ. हरिनारायण दीक्षित कृत "भारतमाता ब्रूते" इति ग्रन्थे लोकचिन्तनम्	डॉ. कमलेश शक्टा	51-54
12.	उत्तराखण्ड में पत्रकारिता	डॉ. मीनाक्षी शर्मा	55-58
13.	गढ़वाल का लोकसाहित्य एवं लोक संस्कृति	डॉ० चन्द्रमोहन जनस्वाण	59-63
14.	लोक साहित्य एवं संस्कृति	किशोरी लाल	64-70
15.	स्त्री अस्मिता का हृदयभंजक यथार्थ : कगार की आग	डॉ. चन्द्रावती जोशी, मनीष जोशी	71-74
16.	वैश्विक संदर्भ में हिंदी भाषा	डॉ. बबिता बी.एम.	75-76
17.	कोरोना परिप्रेक्ष्य (लहरों) में व्यावसायिक यौनकर्मियों की (FSW) बढ़ती समस्याएं और समाधान हेतु प्रयास	डॉ. विजय बळीराम गावंडे	77-82

18.	प्रकृति के सुकुमार कवि : सुमित्रानंदन पंत	डॉ. जगदीश चन्द्र जोशी	83–86
19.	भारत की आर्थिक कूटनीति (1991 से एशिया महाद्वीप के विशेष परिप्रेक्ष्य में)	राजेन्द्र कुमार, डॉ. वीरेन्द्र वर्मा	87–94
20.	सुमित्रानंदन की रचनाओं में प्रकृति व मानवतावाद का चित्रण	डॉ. राजल गुप्ता	95–99
21.	सुमित्रानंदन पंत का छायावादी काव्य	डॉ. मीरा चौरसिया	100–105
22.	भारतीय संस्कृति और स्वातंत्र्योत्तर राजनीतिक परिदृश्य	डॉ. दीपा पंत	106–110
23.	बच्चों के व्यक्तित्व विकास में परिवार की भूमिका एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	नवीन कुमार	111–116
24.	'मुरली तऊ गुपालहिं भावति''——————'	प्रो. प्रतिभा राजहंस	117–125
25.	मेहरून्निसा परवेज के कथा–साहित्य में नारी	यस. याशीम. बी.	126–132
26.	ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT : ROLE AND CHALLENGES	Dr. Alpa Singh	133-141
27.	ग्रामीण विकास व क्रियान्वयन की विविध समस्याओं के समाधान व सुझाव	प्रियंका पूनियां, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मीणा	142–147
28.	भारतीय मुस्लिम समाज : परिस्थिति एवं परिवर्तन (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थिति के विशेष संदर्भ में)	उमा आर्या, प्रो. रेनू प्रकाश	148–160
29.	डॉ. मीरा चौरसिया के काव्य में संवेदना	डॉ. नरेश कुमार सिहाग	161–163
30.	EFFECT OF E-CONTENT ON ACHIEVEMENT OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN MATHEMATICS	AMANDEEP KAUR	164-171
31.	Effect of TPACK Based Programme on Attitude of Pupil-Teachers Towards Using Cyber Resources	Sunil Kumar	172-178

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
May 2023 Page No. : 148-160

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

भारतीय मुस्लिम समाज : परिस्थिति एवं परिवर्तन
(सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थिति के विशेष संदर्भ में)

उमा आर्या, शोधार्थी, समाज शास्त्र, कु.वि.वि., नैनीताल

प्रो. रेनू प्रकाश

शोध निर्देशक, प्रोफेसर, समाजशास्त्र, उ.मु.वि.वि., हल्द्वानी।

जैसाकि हम सब जानते हैं कि भारतीय समाज एक धर्मनिरपेक्ष समाज है तथा विभिन्न धर्म, जाति एवं संस्कृतियों को मानने वाले लोग यहा निवासरत हैं। इनमें यदि हम धर्म की बात करें तो भारत में मुख्यतः छः (6) धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं–सनातन, इस्लाम, सिक्ख, क्रिश्चियन, बौद्ध एवं जैन इन मुख्य धर्मों में भी अनेक समुदाय एवं मत–मतांतर पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए सनातन धर्म में शैव वैष्णव, शाक्ता, ब्रह्म समाज एवं आर्य समाज, इस्लाम धर्म में सिया और सुनी, क्रिश्चियन धर्म में प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक, सिक्ख धर्म में अकाली एवं गैर अकाली, बौध धर्म में हिनयान एवं मधयान तथा जैन धर्म में श्वेताम्बकर एवं दिगम्बसर इत्यादि प्रमुख सम्प्रदाय हैं। सनातन धर्म है इसलिए भारत में सनातन धर्म को बहुसंख्यक धर्म के रूप में तथा भारत को एक हिन्दु राष्ट्र। के रूप में जाना गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सनातन धर्म के अनुयायियों की संख्या लगभग 79.80 प्रतिशत है। भारत में शेष धर्म जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में हैं। यद्यपि परिभाषिक एवं सैधांतिक दृष्टिकोण से इनमें से प्रत्येक को अल्पसंख्यक नहीं माना गया है क्योंकि सनातन धर्म को छोड़कर भारत में शेष सभी धर्मों में इस्लाम धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक 17.22 करोड़ कुल भारतीय जनसंख्या का लगभग 14.23 प्रतिशत है।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अल्पसंख्यक समुदायों में सर्वाधिक जनसंख्या मुस्लिम समुदाय की 17.22 करोड़ (14.23 प्रति?ात) है। वर्तमान में यह 14.23 प्रतिशत् से कुछ अधिक है। अतः यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी की भारत में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर यह जानना आवश्यक है कि क्या इस समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनैतिक परिदृश्य से उनकी परिस्थिति व जीवन स्तर में परिवर्तन हो रहा हैं अथवा नहीं।

प्रस्तुत शोध पत्र इन्हीं शोध बिंदुओं के आधार पर रेखांकित किया गया है कि मुस्लिम समाज में निवासरत लोगों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रस्थिति में कितना अंतर आया है एवं उनमें परिवर्तन की दिशा क्या है। समाज में परिवर्तन की यदि हम बात करें तो उस समाज में निवासरत व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति के आधार पर ही परिवर्तन की दिशा एवं दशा का निर्धारण किया जाता है साथ ही आर्थिक परिवर्तन सदैव व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को भी परिवर्तित करता है। वास्तव में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति

उनकी सामाजिक स्थिति को परिलक्षित करता है और यही सामाजिक आर्थिक स्थिति सामाजिक स्तरीकरण में उनकी सामाजिक स्थिति को परिलक्षित करता है और उनके स्थान का भी निर्धारण करता है। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय मुस्लिम समाज की परिस्थिति एवं परिवर्तन को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य –

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्श हैं :–

1. मुस्लिम समाज की सामाजिक परिस्थिति एवं परिवर्तन की दशा को देखना।
2. मुस्लिम समाज में निवासरत व्यक्तियों की आर्थिक परिस्थिति एवं परिवर्तन को स्पष्ट करना।
3. मुस्लिम समाज की राजनैतिक परिस्थिति एवं परिवर्तन को स्पष्ट करना।

साहित्य सर्वेक्षण :–

अब्दुल रशीद खान, (2001) ने अपने अध्ययन में भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन पर प्रकाश डाला। सर सैय्यद अहमद खान के 1886 में शुरू किये गये अलीगढ़ सम्मेलन ने मुस्लिम पुरूशों और महिलाओं के मध्य आधुनिक शिक्षा फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने मुस्लिम लीग की महत्वाकांक्षाओं को कढ़ावा देने के लिए काम किया और भारत में मुस्लिम समुदायों को मजबूत बनाने में एक मौलिक कारक साबित कर दिया।

ए.जी. नूरानी, (2003) ने अपने अध्ययन में आजादी के बाद से मुस्लिमों ने जिन राजनैतिक समस्याओं का सामना किया है के बारे में बताया है। विभाजन के पश्चात् उचित नेतृत्व की कमी तथा सांप्रदायिक दंगों के कारण भारत ने बहुत कुछ सहा लेखक ने राजनैतिक नेताओं द्वारा दिये गये विभिन्न भाशणों पर ध्यान केंद्रित किया है। इन भाषणों से भारतीय मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का पता चलता है। लेखक के अनुसार मुस्लिम संस्थानों के पाठ्क्रम में सुधार के लिए प्रयास किये जाने चाहिए जिससे कि संतुलित व्यक्तित्व विकसित करने में शिक्षा के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

एस.एस. जाफरी, (2003) ने अपने अध्ययन में अवध क्षेत्र में कुल हिंदू मुस्लिम संयुक्त आबादी की तुलना में मुस्लिमों के बीच सामाजिक–आर्थिक विकास के स्तर का विश्लेषण किया है। यह अध्ययन छः जिलों (जिला मुख्यालय जैसे–लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, और लखीमपुर खीरी) में आयोजित किया गया था। अध्ययन में पाया कि अधिकांश मुस्लिम आर्थिक व सामाजिक रूप से गरीब थे। मुस्लिम पुरूषों और महिलाओं में समग्र साक्षरता 69.59 और 55.70 प्रतिशत थी। महिलाओं में साक्षरता पुरूषों की तुलना में कम थी।

बाला निधि, बाजपेयी, अमिता तथा सावित्री (2001) द्वारा किये गये अध्ययन से स्पद्यट है कि धर्म सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षक और पोषक है यह इसका निर्माता भी है किसी भी युग के लिए जीवनोपयोगी मूल्यों, नैतिक और सामाजिक, नियमों, मान्यताओं का विकास करना परंपरागत आदर्शों का संरक्षण करना तथा मनुष्यों को उसका पालन करने के लिए प्रेरित करना धर्म का कार्य होता है धर्म के द्वारा मानव के भाव और संवेग उदान्त, उत्कृष्ट और सशक्त बनते हैं।

बीना शाह, (1989) ने अपने अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शैक्षिक समस्याओं के विषय में अध्ययन किया। अपने अध्ययन में न्यायदर्श के रूप में 221 अनुसूचित जनजाति तथा 116 सामान्य कक्षा 6 से 12 तक के चमोली जिले के छात्रों को सम्मिलित किया। इन्होंने पाया कि स्कूलों में पढ़ने वाले जनजातीय छात्रों को

समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निष्कर्ष यह भी निकला कि जनजातीय छात्रों को जो छात्रवृत्ति की राशि मिल रही थी वह उनके माता पिता द्वारा उनके शिक्षा पर ही खर्च की जा रही थी।

शोध अभिकल्प और पद्धति शास्त्र :-

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अन्वेषणात्मक है। अतः शोध हेतु इस अध्ययन में अन्वेषणात्मक एवं विवेचनात्मक शोध अभिकल्प का उपयोग किया गया है। जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अल्पसंख्यक समुदायों में सर्वाधिक जनसंख्या मुसलमानों की 17.22 करोड़ है। वर्तमान में यह 14.23 प्रतिशत से कुछ अधिक है। इतने बड़े धार्मिक समुदाय की भारत के सामाजिक, आर्थिक विकास में जो भूमिका होनी चाहिए वह अभी वास्तव में देखने को नहीं मिल रही है। मुस्लिम समाज भारतीय समाज का अंग होते हुए भी किसी विकास की प्रक्रिया में अपना स्पष्ट योगदान नहीं दे पा रहा है। हालाँकि मुस्लिम समाज पर अनेक अध्ययन हुए हैं किन्तु अध्ययन क्षेत्र की परंपरागतता को ध्यान में रख कर मुख्य रूप से अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प ही प्रस्तुत अध्ययन के लिये उपयुक्त समझा गया। प्रस्तुत अध्ययन को निदर्श पर आधारित किया गया है।

वर्तमान समय में उत्तराखण्ड का बागेश्वर जनपद तीन ब्लॉकों में विभक्त है। बागेश्वर, कपकोट व गरूड़। चूँकि प्रस्तुत अध्ययन मुस्लिम समाज पर आधारित है, प्राथमिक सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि, विकास खण्ड बागेश्वर में अन्य दो ब्लॉकों की अपेक्षा सबसे ज्यादा मुस्लिम परिवार निवास करते हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन विकासखण्ड बागेश्वर के मुस्लिम समाज पर आधारित है। ब्लॉक से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार बागेश्वर विकासखण्ड में कुल 415 गाँव हैं तथा इसमें मुस्लिम समुदाय के कुल 145 परिवार निवासरत हैं, तथा जिसमें कुल मुस्लिम लोगों की जनसंख्या 757 है। जिसमें 427 पुरूष व 330 महिलाऐं हैं। अतः इन दोनों के 50 प्रतिशत का चयन किया गया है, इस प्रकार अध्ययन में 214 पुरूष व 165 महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन 379 अध्ययन ईकाइयों पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन मुख्य रूप से प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़े एकत्रित मुख्य रूप से साक्षात्कार अनुसूची तथा आवश्यक्तानुसार असहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग किया गया है।

उपलब्धियाँ :-

कोई भी मनुष्य समाज के अभाव में अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है। समाज में रहकर ही वह अपना सर्वांगीण विकास करता है तथा जीवन के समस्त दायित्वों का निर्वहन करता है। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। यह सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक व्यक्ति का समाज में उसके स्तर एवं स्थिति को इंगित करता है। मुस्लिम समाज चूंकि एक अल्पसंख्यक समाज है। अतः निम्नांकित सारणी में उत्तरदाताओं की समाज में स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

सारणी संख्या-1

स्वयं की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सम्मान जनक	133	35.09
2.	सामान्य	219	57.79
3.	हीनता	27	07.12
	योग	379	100

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक (57.79 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा समाज में स्वयं की स्थिति को सामान्य बताया गया है। 35.09 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा समाज में स्थिति सम्मानजनक बताई गई है, जबकि 07.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि समाज में उन्हें हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि समाज में मुस्लिम उत्तरदाताओं की स्थिति में धीरे–धीरे इसी निरंतरता में उत्तरदाताओं से यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि क्या उत्तरदाताओं के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है।

सारणी संख्या–2

धर्म के आधार पर भेदभाव किये जाने के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हॉ	30	07.92
2.	नहीं	302	79.68
3.	कभी–कभी	47	12.40
योग	379	100	

उपरोक्त सारणी से यह स्पशट होता है कि सर्वाधिक (79.68 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का यह मानना है कि उनके साथ समाज में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, जबकि 12.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कभी–कभी भेदभाव होता है साथ ही 07.92 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह कहना है कि उनके साथ समाज में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है।

सारणी संख्या–3

समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हॉ	272	71.77
2.	नहीं	107	28.23
	योग	379	100

सारणी से यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक (71.77 प्रतिशत) उत्तरदाता इस मत से सहमत हैं कि समाज में महिलाओं को स्वतंत्रता होनी चाहिए, जबकि 28.83 प्रतिशत उत्तरदाता उपरोक्त मत से सहमत नहीं हैं। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाता इस मत के पक्ष में हैं कि समाज में महिलाओं को स्वतंत्रता होनी चाहिए। शोध की इसी निरंतरता में आगे बढ़ते हुए उत्तरदाताओं से यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि क्या वे अपने आस–पड़ोस में सभी लोगों के साथ मिल–जुलकर रहना पसंद करते हैं।

सारणी संख्या–4

प्रत्येक घर के लोगों के साथ मिलजुलकर रहने के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हॉ	379	100
2.	नहीं	...	...
	योग	379	100

सारणी से प्राप्त ऑकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि सभी उत्तरदाता आपस में प्रत्येक घर के लोगों के साथ मिल–जुलकर रहना पसंद करते हैं। शोध के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तरदाताओं से यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि क्या महिलाओं पर पुरूषवादी विचारधारा भी थोपी जाती है।

सारणी संख्या–5

महिलाओं पर (पुरूषवादी विचारधारा) थोपे जाने के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हॉ	144	37.99
2.	नहीं	235	62.01
	योग	379	100

शोध से प्राप्त ऑकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक (62.01 प्रतिशत) उत्तरदाता इस मत को अस्वीकार करते हैं कि उनपर पुरूषवादी विचारधारा थोपी नहीं जाती है। सार रूप में यह स्पष्ट होता है कि धीरे–धीरे मुस्लिम समाज में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। शोध के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुवे उत्तरदाताओं से यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि क्या अन्य समुदायों के साथ समायोजन करने में उत्तरदाताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

सारणी संख्या–6

अन्य समुदायों से समायोजन करने में होने वाली समस्याओं के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हॉ	146	38.52
2.	नहीं	101	26.35
3.	कह नहीं सकते	132	34.83
	योग	379	100

शोध से प्राप्त ऑकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक (38.52 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का यह मत है कि उन्हें अन्य धर्मों के लोगों के साथ समायोजन करने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि 34.83 प्रतिशत उत्तरदाताओं का उपरोक्त मत के संदर्भ में कोई मत व्यक्त नहीं किया है और 26.65 प्रतिशत उत्तरदाताओं का उक्त मत के संदर्भ में यह कहना है कि उन्हें अन्य धर्मों के व्यक्तियों के साथ समायोजन करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन आज भी अधिकांश लोग ऐसे है जिन्हें समाज में धर्म अलग होने की वजह से कभी–कभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शोध की इसी निरंतरता में आगे बढ़ते हुवे उत्तरदाताओं से यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि क्या मुस्लिम महिलाओं पर पुरूषों की अपेक्षा धार्मिक बाध्यता अधिक होती है।

सारणी संख्या–7

महिलाओं पर पुरूषों की अपेक्षा धार्मिक बाध्यता अधिक होने के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हॉ	180	47.49
2.	नहीं	83	21.90
3.	कह नहीं सकते	116	30.61
	योग	379	100

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक (47.49 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मुस्लिम समाज में धार्मिक बाध्यता पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं पर अधिक होती है। 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उपरोक्त मत पर अपना कोई स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया है तथा 21.90 प्रतिशत उत्तरदाता उक्त मत से सहमत नहीं हैं। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज में धार्मिक बाध्यता पुरूषों की बजाय महिलाओं पर अधिक है। जैसा कि यह सर्वविदित है कि आर्थिक प्रस्थिति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपना विशेष प्रभाव डालती है। अतः निम्नांकित सारणी मुस्लिम समाज के पुरूष एवं महिलाओं की आर्थिक स्थिति को इंगित करती है।

सारणी संख्या–8

आर्थिक स्थिति के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	उच्च	49	12.92
2.	मध्यम	196	51.72
3.	सामान्य	134	35.36
	योग	379	100

अध्ययन से प्राप्त ऑकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक (51.72 प्रतिशत) उत्तरदाता मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित हैं, जबकि 35.36 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति सामान्य है और 12.92 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति उच्च है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति मध्यम वर्गीय है। अध्ययन की इसी निरंतरता में उत्तरदाताओं से यह भी जानने का प्रयास किया गया है क्या उनकी आर्थिक स्थिति उनके जीवन के अनुकूल है या नहीं।

सारणी संख्या–9

आर्थिक स्थिति जीवन के अनुकूल होने के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हॉ	137	36.15
2.	नहीं	125	32.98
3.	कह नहीं सकते	117	30.87
	योग	379	100

शोध से प्राप्त ऑकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक (36.15 प्रतिशत) का यह मानना है कि उनकी आर्थिक स्थिति उनके जीवन के अनुकूल है, जबकि 32.98 प्रतिशत उत्तरदाता उपरोक्त मत से सहमत नहीं हैं साथ ही 30.37 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उपरोक्त मत के संदर्भ में अपना कोई भी स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया है। जैसा कि यह सर्वविदित है कि समाज में लोग लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से व्यवसाय चलाते हैं। लेकिन केवल लाभ अर्जित करना ही व्यवसाय का एक मात्र उद्देश्य नहीं होता समाज का एक अभिन्न अंग होने के नाते बहुत से सामाजिक कार्य भी करने होते हैं। यह विशेष रूप से अपने असतित्व की सुरक्षा में संलग्न स्वामियों, निवेशकों, कर्मचारियों तथा सामान्य रूप से व्यवसाय की प्रकृति तथा समुदाय की देख–रेख की जिम्मेदारी भी निभाता है। अतः प्रत्येक व्यवसाय को किसी न किसी रूप में इनके प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए, यदि परंपरागत व्यवसाय की बात की जाय तो परंपरागत कुटिर व लघु उद्योग को समुचित सरकारी प्रोत्साहन न मिलने के कारण अब लोगों में भी परंपरागत व्यवसायों के प्रति उदासीनता देखने को मिल रही है। हालात यह हैं कि परंपरागत उद्योगों के सहारे जीवन यापन करने वालों को अब नये कार्य की तलास करना अब विवशता बन गई है। परंपरागत व्यवस्था से जुड़े लोहार, कुंभार, मोची, नाई को कामकाज का संकट है। इसका प्रभाव सासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में देखने को मिलता है। शहर में रहने वाले लोगों ने व्यवसाय को नई दिशा देकर इस स्थिति से मुकाबला करने का साहस भी किया है किंतु ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मंहगाई की मार व परंपरागत वस्तुओं की कम हो रही मांग ने जीना मुश्किल कर दिया है निम्नांकित सारणी में उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या वे परंपरागत व्यवसाय के स्थान पर नवीन व्यवसाय को अपनाना ज्यादा पसंद करते हैं।

सारणी संख्या–10

परम्परागत व्यवसाय के स्थान पर नवीन व्यवसायों को अपनाने के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हॉ	150	39.58
2.	नहीं	108	28.49
3.	कह नहीं सकते	121	31.93
	योग	379	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक (39.58 प्रतिशत) उत्तरदाता परंपरागत व्यवसाय के स्थान पर नवीन व्यवसाय को अपनाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 31.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा उक्त मत पर अपना कोई भी स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया गया है एवं 28.49 प्रतिशत उत्तरदाता उपरोक्त मत से सहमत नहीं हैं। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश कि अधिकांश उत्तरदाता ऐसे हैं जो कि परंपरागत व्यवसाय के स्थान पर नवीन व्यवसाय को अपनाना पसंद करते हैं।

वर्तमान समाज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो आज के युग में समाज का प्रत्येक वर्ग आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रहा है। आधुनिकता की यदि बात की जाय तो मनुष्य अपने सर्वांगीण विकास के लिए अनेकों प्रयत्न करता है क्योंकि आर्थिक विकास का एक ऐसा केन्द्र बिंदु है जो कि जीवन के प्रत्येक पक्ष को मजबूत बनाने में अपनी मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। निम्नांकित सारणी में उत्तरदाताओं की इसी संदर्भ में उनकी मनोवृति को जानने का प्रयास किया है।

सारणी संख्या-11

आधुनिक जीवन शैली को बेहतर मानने के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हॉ	218	57.52
2.	नहीं	51	13.46
3.	थोड़ा बहुत	110	29.02
	योग	379	100

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक (57.52 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे हैं जो आधुनिक जीवन शैली को बेहतर मानते हैं। 29.02 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उक्त मत के संदर्भ में अपना कोई भी मत स्पष्ट नहीं किया है, जबकि 13.46 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो उपरोक्त मत से सहमत नहीं हैं। शोध के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उत्तरदाताओं से उनकी राजनीतिक परिस्थितियों को भी जानने का प्रयास किया गया है तथा उत्तरदाताओं से ये भी जानने का प्रयास किया गया है कि मतदान करने के अधिकार के प्रति क्या उत्तरदाता जागरूक हैं। निम्नांकित सारणी में उत्तरदाताओं के नियमित रूप से मतदान करने के विषय में जानकारी लेने का प्रयास किया गया है।

सारणी संख्या-12

मतदान नियमित रूप से करने के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हॉ	359	94.72
2.	नहीं	20	05.28
	योग	379	100

सारणी से यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक (94.72 प्रतिशत) उत्तरदाता नियमित रूप से मतदान करते हैं। 05.28 प्रतिशत उत्तरदाता नियमित रूप से मतदान नहीं करते हैं। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज में भी अब जागरूकता आ रही है। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं इसकी नियमितता में यहॉ भी जानना आवश्यक हो गया है कि मतदान विशेषतः किस आधार पर करते हैं। निम्न सारणी में उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि उत्तरदाता मतदान विशेष रूप से किस आधार पर करते हैं।

सारणी संख्या-13

मतदान विशेष किसी रूप में किए जाने के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	जाति देखकर	06	01.58
2.	व्यक्ति देखकर	63	16.63
3.	योग्यता देखकर	310	81.79
4.	प्रलोभन के आधार पर	....	.....
	योग	379	100

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक (81.79 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा यहॉ स्वीकार किया गया है कि वे मतदान व्यक्ति के योग्यता को देखकर करते हैं। 16.63 प्रतिशत व्यक्ति विशेष के आधार पर मतदान करते हैं। प्रलोभन के आधार पर मतदान करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत शून्य है। अतः सार रूप में यहॉ कहा जा सकता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता मतदान व्यक्ति विशेष की योग्यता को देखकर करते हैं। देश में अनके वर्ग जाति के लोग निवास करते हैं तथा आरक्षण होने के बाद भी मुस्लिम समाज के लोग सरकारी सेवाओं में कम देखे जाते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि किसी भी राष्ट्र में सामाजिक रूप से भिन्नताऍ सदैव व्याप्त रहती हैं ये भिन्नता विभिधिक्रत अथवा स्त्रीतकृत किसी भी रूप में हो सकती हैं। इन अनेकताओं के मध्य समानता स्थापित करने के संदर्भ में कोई कल्याणकारी राय कुछ न कुछ वैधानिक प्रावधान करता है। इसी प्रकार से भारत में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से निम्न स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के विशेष अवसर की समानता तथा सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। भारत वर्ष विविधता में एकता वाला देश है। देश में अनेक वर्ग जाति समूह व समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं लेकिन किसी ऐतिहासिक कारणों से कुछ जाति वर्ग समूह व समुदाय में स्तरीकरण के परिणामस्वरूप उच्च एवं भिन्नता की धारणा स्पष्ट हो गई है। निम्न सारणी में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आरक्षण होने के बावजूद भी मुस्लिम वर्ग के लोग सरकारी सेवाओं में कम देखने को मिलते हैं।

सारणी संख्या–14

आरक्षण होने के बाद भी मुस्लिम वर्ग के लोग सरकारी सेवाओं में कम देखे जाने के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पूर्णतः सहमत	78	20.59
2.	सहमत	87	22.95
3.	आंशिक सहमत	92	24.27
4.	असहमत	96	25.33
5.	पूर्णतः असहमत	26	06.86
	योग	379	100

अध्ययन से प्राप्त ऑकड़ों से यह स्पष्ट है कि (25.33 प्रतिशत) उत्तरदाता इस मत से असहमत हैं कि आरक्षण होने के बाद भी सरकारी सेवाओं में मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति प्रायः कम होते हैं। 24.27 प्रतिशत उत्तरदाता उपरोक्त मत से आंशिक सहमत हैं। 22.95 प्रतिशत उत्तरदाता उक्त मत से सहमत हैं। 20.59 प्रतिशत उत्तरदाता उक्त मत से पूर्ण सहमत हैं जबकि 06.86 प्रतिशत उत्तरदाता उपरोक्त मत से पूर्णतः असहमत हैं। साररूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाता इस मत से सहमत हैं कि आरक्षण होने के बावजूद भी मुस्लिम वर्ग के लोग सरकारी सेवाओं में कम देखने को मिलते हैं।

अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाता इस मत से सहमत हैं कि आरक्षण होने के बाद भी मुस्लिम वर्ग के लोग सरकारी सेवाओं में कम देखने को मिलते हैं जैसा कि हम यह जानते हैं सरकार द्वारा आम जनता के हितों के लिए समय–समय पर अनेकों योजनाऐं चलाई जाती हैं तथा सरकार द्वारा

यह भी प्रयास किये जाते हैं कि इन योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को मिले व आम जनता इन योजनाओं से छूटी न रहे। समय–समय पर सरकार द्वारा जनता के हितों के लिए अनेकों योजनाओं का निर्माण किया जाता है। निम्नांकित सारणी में उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या वे सरकार द्वारा समय–समय पर बनाई गई योजनाओं से संतुष्ट हैं।

सारणी संख्या–15

सरकार द्वारा मुस्लिम समाज के हित के लिए किये जा रहे कार्यों के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पूर्णतः सहमत	82	21.63
2.	सहमत	136	35.89
3.	आंशिक सहमत	93	24.54
4.	असहमत	39	10.29
5.	पूर्णतः असहमत	29	07.65
	योग	379	100

सारणी से प्राप्त ऑकड़ों से यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक (35.89 प्रतिशत) उत्तरदाता सरकार द्वारा मुस्लिम समाज के हित के लिए किये जा रहे कार्यों से सहमत हैं। 24.54 प्रतिशत उत्तरदाता उपरोक्त मत से आंशिक सहमत हैं। 21.63 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से पूर्णतः सहमत हैं, जबकि 10.29 प्रतिशत उत्तरदाता उपरोक्त मत से असहमत हैं, 07.65 प्रतिशत उत्तरदाता उक्त मत से पूर्णतः असहमत हैं। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से अधिकांश उत्तरदाता सहमत हैं। इसी निरंतरता में अब यह भी जानना आवश्यक है कि सरकार द्वारा हाल ही में जो तीन तलाक बिल पास किया गया है तो क्या उत्तरदाता सरकार द्वारा किये गये इस निर्णय से सहमत हैं यदि हम तीन तलाक की बात करें तो तलाक की प्रथा भी मुस्लिम समाज में स्त्रियों के लिए पीड़ादायी बनी है। निम्नांकित सारणी में यह जानने का प्रयास किया गया है कि तीन तलाक बिल के पास होने से उत्तरदाता कितने सहमत हैं।

सारणी संख्या–16

सरकार द्वारा तीन तलाक बिल पास किये जाने के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पूर्णतः सहमत	191	50.40
2.	सहमत	161	42.48
3.	आंशिक सहमत	27	07.12
4.	असहमत	.....	....
5.	पूर्णतः असहमत	.....	....
	योग	379	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक (50.40 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा तीन तलाक बिल

के पास होने के मत से पूर्णतः सहमत हैं। 42.48 प्रतिशत उत्तरदाता उक्त मत से सहमत हैं तथा 07.12 प्रतिशत उपरोक्त मत से आंशिक सहमत हैं जबकि उक्त मत से असहमत एवं पूर्णतः असहमत हैं उनका प्रतिशत नगण्य है। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता तीन तलाक बिल के पास होने से सहमत हैं। शोध की इसी निरंतरता में उत्तरदाताओं से नागरिकता संशोधन विधेयक (बिल) को भारतीय राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी गई थी जिसके बाद यह एक अधिनियम बन गया था। जैसा कि वर्तमान सरकार ने पिछले चुनावों में वादा किया था कि इस विधेयक को लाऐंगे। सरकार ने इस बिल को लाकर और दोनों सदनों में भारी विरोध के बावजूद भी पारित कराकर व कानून बनाकर अपना वादा पूरा किया और 10 जनवरी 2020 से यह कानून समस्त देश में प्रभावी हो गया। निम्नांकित सारणी में अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उत्तरदाता नागरिक बिल का समर्थन करते हैं। निम्न सारणी में नागरिकता बिल के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों को जानने का प्रयास किया गया है।

सारणी संख्या–17

नागरिकता बिल के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पूर्णतः सहमत	77	20.32
2.	सहमत	77	39.06
3.	आंशिक सहमत	92	24.27
4.	असहमत	24	06.33
5.	पूर्णतः असहमत	38	10.03
	योग	379	100

उपरोक्त सारणी से यह स्पश्ट होता है कि सर्वाधिक (39.06 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा नागरिकता बिल के पास होने का समर्थन किया गया है। 24.27 प्रतिशत उत्तरदाता उपरोक्त मत से आंशिक सहमत हैं। 20.32 प्रतिशत उत्तरदाता उक्त मत से पूर्णतः सहमत हैं। इसके साथ 06.33 प्रतिशत उत्तरदाता उपरोक्त मत से असहमत हैं साथ ही 10.03 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से पूर्णतः असहमत हैं। निष्कर्षः यह कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाता नागरिकता बिल का समर्थन करते हैं। इसी निरंतरता में अब उत्तरदाताओं से यह भी जानना आवश्यक है कि सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं द्वारा मुस्लिम समाज में लोग उन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं। निम्नांकित सारणी में उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया हैं।

सारणी संख्या–18

सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं से लाभ के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मतों का वर्गीकरण

क्रमांक	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हॉ	74	19.52
2.	नहीं	190	50.14
3.	कभी–कभी	115	30.34
योग	379	100	

सारणी से प्राप्त ऑकड़ों से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक (50.14 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ नहीं मिला। 30.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ कभी–कभी मिला, इसके साथ ही 19.52 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। निष्कर्ष रूप में यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता ऐसे है जो सरकारी योजनाओं से लाभांवित नहीं हो रहे हैं।

सारांश एवं निष्कर्ष :-

सम्पूर्ण शोध विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज में अधिकांश की सामाजिक स्थिति सामान्य है तथा धर्म के आधार पर उत्तरदाताओं के साथ भेदभाव बहुत अधिक नहीं होता है। इसके साथ ही अध्ययन में सर्वाधिक उत्तरदाताओं का यह कहना है कि महिलाओं को समाज में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तथा उत्तरदाताओं का आस–पड़ोस में व प्रत्येक घर के साथ मिलजुलकर रहने में विश्वास है। इसके साथ ही शोध अध्ययन में यह भी पाया गया है कि घरों में महिलाओं पर पुरूषवादी विचारधारा भी थोपी जाती है। इसके साथ ही उत्तरदाताओं का यह भी मानना है कि उन्हें अन्य धर्म के लोगों के साथ समायोजन करने में समस्या होती है हालांकि अधिकांश उत्तरदाताओं ने इस मत पर अपना कोई स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया है। साथ ही उत्तरदाताओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि महिलाओं पर पुरूषों की अपेक्षा धार्मिक बाध्यता अधिक होती है। साथ ही अधिकांश उत्तरदाता ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मध्यम स्तर की है और उनकी आर्थिक स्थिति उनके जीवन के अनुकूल है, जबकि अधिकांश उत्तरदाताओं ने ई–मतपर अपना स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया है। अध्ययन में यह पाया गया है कि अधिकांश उत्तरदाता अपने परम्परागत व्यवसाय के स्थान पर नवीन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं। अध्ययन में उत्तरदाताओं ने आधुनिक जीवन शैली को बेहतर माना है। अध्ययन में उत्तरदाताओं की राजनैतिक स्थिति को भी जानने का प्रयास किया गया है। अध्ययन में सर्वाधिक उत्तरदाताओं द्वारा इस मत पर सहमतता जताई है कि वे मतदान नियमित रूप से करते हैं और उनके द्वारा यह बताया गया है कि वे मतदान व्यक्ति की योग्यता के आधार पर करते हैं। मुस्लिम समाज में उत्तरदाताओं द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि आरक्षण होने के बाद भी मुस्लिम वर्ग के लोग सरकारी सेवाओं में कम देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में उत्तरदाताओं से यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि सरकार द्वारा मुस्लिम समाज के हित के लिए समय–समय पर चलाई गई योजना से क्या वे सहमत हैं जिसमें कि अधिकांश उत्तरदाता सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से सहमत हैं एवं सरकार द्वारा तीन तलाक बिल पास किये जाने के फैसले से भी सर्वाधिक उत्तरदाता सहमत हैं एवं नागरिक बिल के पास होने से भी अधिकांश उत्तरदाता सहमत हैं। सरकार द्वारा बनाई गई योजानाओं के संदर्भ में भी उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला किंतु अधिकांश उत्तरदाता ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. तबस्सुम, जहॉं, मुस्लिम महिलाएं एवं आधुनिकता : आधुनिकता के मिथक का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (काशीपुर नगर के मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में) कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल, अप्रकाशित शोध प्रबंध, वर्ष–2018, पृ. सं. 1

2. अब्दुल रशीद खान, 2001, ऑल इण्डिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेन्स (1886–1947) ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. ए.जी. नूरानी. 2003, ''द मुस्लिम ऑफ इंडिया : ए डॉक्युमेंट्री रिकार्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू देहली।
4. एस.एस. जाफरी, 2003, ''सोशियो इकॉनोमिक डेबलेपमेंट ऑफ मुस्लिम इन अर्बन सेटमेन्टस ऑफ अवध रिजन, उत्तर प्रदेश : ए कम्प्रेटिव एनएलिसिस इन एस.एन.सिंह (ed.) मुसिल्म इन इण्डिय'', न्यू देहली अनमोल पब्लिकेशन्स।
5. बाला निधी, बाजपेयी, अमिता, शुक्ला, सावित्री, 2001, ''शिक्षा के दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय आधार'', आलोक प्रकाशन, लखनऊ, पृ. 488–490
6. Shah, Beena, 1989, Educational Problems of Tribal Students, Independent Study, Rohilkhand University, Faith Survey of Educational Research, Education of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Minorities, Vol.-I, 1992, Page-573